

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/144/2019

प्रवेश तिथि
14-10-2019

निर्णय दिनांक
10-11-2020

01-हनुमानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धीलोठ तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर नीमराना तहसील व जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार नीमराना दिनांक 31-01-2019 अन्तर्गत धारा 91 नू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 68/2019

उपस्थित:-

01. श्री मुकेश कुमार शर्मा
02. श्री दीपक मोना

-वकील अपीलान्ट
-राजकीय अधिवक्ता

---:: निर्णय ::---

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 31-01-2019 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम धीलोठ तहसील नीमराना के आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बजंड में से 0.02 हैक्टर रकबा पर से बेदखल करने एवं 4/- रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये हैं, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 692 रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बजंड में से 0.02 रकबा हैक्टर ग्राम धीलोठ तहसील नीमराना उक्त आराजी के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट तहत न्यायालय के समक्ष पेश कर अपीलान्ट आराजी पर पक्की भारी दीवारी व टीनशेड लगाकर अतिक्रमण करना जाहिर किया गया है। अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण/कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से आज तक चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये तहत अदालत को रिपोर्ट पेश की है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है, क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को ना तो बेदखल किया गया है, ना ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य है। अपीलान्ट को तहत अदालत ने साक्ष्य, सबूत का मौका नहीं दिया गया, और अपीलान्ट की

जिला कलक्टर
अलवर (राजस्थान)

गैर मौजूदगी एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किए ही गनमाने तरीके से गलत रिपोर्ट पेश की है जिसकी जाँच तहत अदालत ने नहीं की और बिना वास्तविकता की जाँच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 06-08-2019 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल दिनांक 07-08-2019 को प्राप्त हुई। अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी बजंड की है। गै0मु0 जोहड/बंजड पर पक्की चारदीवारी व टीनशैड लगा कर अतिक्रमण नहीं हो सकते। आराजी आबादी में स्थित नहीं है। अपीलान्त ने मौके पर अवैध रूप से बंजड की भूमि पर निर्माण कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्त ने यह अपील अपीलीय आदेश के विरुद्ध दिनांक 09-08-2019 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा-5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्त के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी अपीलान्त का कोई अतिक्रमण/कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर अपीलान्त का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से आज तक चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये तहत अदालत को रिपोर्ट पेश की है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया तहत अदालत के अनुसार अपीलान्त को नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का जारी किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त ने तहत अदालत में दस्तावेजी व साक्ष्य पेश करने का मौका चाहा हो। अपीलान्त ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्त ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में न किया हो। अपीलान्त को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा वेदखली व पैनल्टी का जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्तस खारिज की जाकर तहसीलदार नीमराना का आदेश दिनांक 31-01-2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की



Am.
जला कलक्टर
अलवर (राज.)

प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।



An.
(आनन्दी)
जिला कलेक्टर, अलवर
अलवर (राज.)